

Fax/Mail

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट आवंटन-34/2015

186 आवंटन /कृ0, पटना, दिनांक-01/02/ 2016

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय :

कृषि विभाग के नियंत्रणधीन बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड पटना को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी० डब्ल्यू० जे० सी० संख्या-21893/11 में दिनांक-04.03.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में निगम के कर्मियों को पुत्री की शादी, बीमारी, वृद्धावस्था बीमारी आदि के लिए वर्ष 2015-16 में कुल रु०10000000=00 (कुल एक करोड़ रु० मात्र) निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल 1,00,00,000/रु० (एक करोड़ रु० मात्र) की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-262 दिनांक-19.01.2016 के द्वारा कृषि विभाग के नियंत्रणधीन बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड पटना को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी० डब्ल्यू० जे० सी० संख्या-21893/11 में दिनांक-04.03.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में निगम के कर्मियों को पुत्री की शादी, बीमारी, वृद्धावस्था बीमारी आदि के लिए वर्ष 2015-16 में कुल रु०10000000= 00 (कुल एक करोड़ रु० मात्र) निकासी एवं व्यय की स्वीकृति की गई है। स्वीकृत राशि के अंतर्गत कुल 1,00,00,000/रु० (एक करोड़ रु० मात्र) व्यय हेतु आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹1,00,00,000/रु० (एक करोड़ रु० मात्र) का व्यय मुख्यशीर्ष 6401-फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज-उपमुख्यशीर्ष-00-आयोजना भिन्न-लघुशीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकर्मों को कर्ज- उपशीर्ष-0002-बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को ऋण- माँग संख्या-01- विपत्र कोड-N6401001900002, के अंतर्गत विषयशीर्ष-5501-ऋण एवं अग्रिम मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 के द्वितीय अनुपूरक आगणन से उपबंधित 1,00,00,000/रु० (एक करोड़ रु० मात्र) से की जायेगी।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में आवंटित है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

ज्ञापांक-

186 आवंटन

प्रभु राम

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।
/कृ0, पटना, दिनांक-01/02/ 2016

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन पटना को सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-

186 आवंटन

प्रभु राम

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।
/कृ0, पटना, दिनांक-01/02/ 2016

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रबंध निदेशक बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।